कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल — 462004

क्रमांक 590 / अका0प्र0 / आउशि / 09 भोपाल, दिनांक 4/6/09

मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों
की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश के लिए
मार्गदर्शक सिद्वान्त सत्र 2009—2010
सेमेस्टर / वार्षिक पद्धति में
संशोधन

इस कार्यालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2009—2010 क्रमांक 549 / 327 / अका0प्र0 / आउशि / 09 भोपाल दिनांक 22.5.2009 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है :—

कंडिका 5.1 ग के बिन्दु 6 में निम्न को जोड़ा जाता है

"तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक सीट आरक्षित करना"
(उक्त प्रावधान केवल कश्मीरी विस्थापितों के लिये है)

कण्डिका 9.3 (ग) बार काउंसिल आफ इण्डिया विधि शिक्षा नियम 2008 की कण्डिका 28 (अ) के नियमानुसार निम्न संशोधन किए जाते है :—

ग (1) स्नातक विधि के इट्रीग्रेटेड पॉच वर्षीय पाठ्यक्रम—

(अ) बी0ए0 एल0एल0बी0
(ब) बी0एस0सी0 एल0एल0बी0
(स) बी0बी0ए0 एल0एल0बी0
(द) बी0कॉम0 एल0एल0बी0

के लिये प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिये 20 वर्ष एवं अनु0जाति / अनु0जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिये 22 वर्ष निर्धारित है ।

ग (2) विधि शिक्षा नियम की कण्डिका 28(ब) — विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सामान्य वर्ग के लिये अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है जिसमें अनु0जाति, अनु0 जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिये 5 वर्ष की छूट लिये जाने का प्रावधान है ।

ग (3) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में एक सेक्शन में अधिकतम छात्र संख्या 60 निर्धारित है ।

ग (4) एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

Ashish

(आशीष उपाध्याय)
सचिव / आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

पृ0क0 591/उशि0/50/09 भोपाल, दिनांक 4/6/09

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन।

2 प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3 समस्त उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।

4 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

5 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म0प्र0 की ओर सूचनार्थ उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को वितरित करने हेतु प्रेषित ।

6 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा शाखा–13 को अशासकीय महाविद्यालयों को वितरित करने हेतु प्रेषित।

7 समस्त कुलसचिव, मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय।

8 समस्त अधिकारी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

(डॉ0 प्रभा वर्मा)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश